भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1190
08.12.2025 को उत्तर के लिए

अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों के लिए दिशानिर्देश

1190. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी :
श्री पी. सी. मोहन :
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी :
श्री आलोक शर्मा :
श्रीमती कमलजीत सहरावत :
श्री जगदम्बिका पाल :
श्री राजकुमार चाहर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अगस्त 2025 में जारी अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों के लिए दिशानिर्देशों के अंतर्गत अवशिष्ट राख और निक्षालन के प्रबंधन को लागू करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या सरकार का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की अगस्त 2025 की प्रारूप रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय क्षति लागत आकलन (ईडीसीए) की कार्यप्रणाली को मानकीकृत करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में स्थित अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों और औद्योगिक इकाइयों की वास्तविक समय अनुपालना स्थिति की निगरानी के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों हेतु एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किया है;

(घ) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित कर रही है कि (संचालन की सहमति - सीटीओ) प्रणाली के स्वत: नवीनीकरण से पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के लिए निरीक्षण की आवृत्ति से समझौता नहीं हो; और

(ङ) क्या सरकार मुंबई, पालघर के शहरी भाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और देश के अन्य शहरों जैसे महानगरों, गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के लिए पर्यावरण सुरक्षा उपायों हेतु नए नियम बनाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसूची-II में ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण एवं शोधन के मानक निर्धारित किए गए हैं, जिनमें ठोस अपशिष्ट के शोधन एवं निपटान सुविधाओं में इस्तेमाल होने वाले दहन यंत्रों (इंसिनरेटर)/तापीय प्रौद्योगिकियों से होने वाले उत्सर्जन के मानक भी शामिल हैं। यह अनिवार्य किया गया है कि यदि दहन प्रक्रिया (इंसिनरेशन) से उत्पन्न राख में विषैले धातुओं की सांद्रता समय-समय पर यथा संशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचलन) नियम, 2008 में विनिर्दिष्ट सीमा से

अधिक होती है तो ऐसी राख को खतरनाक अपशिष्ट शोधन, भंडारण एवं निपटान सुविधा में भेजा जाएगा है। इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सार्वजनिक परामर्श के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडबल्यू) दहन-आधारित अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्रों पर मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में रिसाव प्रबंधन पर अलग खंड है, जिसमें रिसाव का संग्रह और इसे समर्पित रिसाव शोधन संयंत्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शामिल है, ताकि इसे पुन: उपयोग या आगे की प्रक्रिया से पहले व्यवस्थित रूप से शोधन किया जा सके। इन दिशानिर्देशों में बॉटम ऐश और फ्लाई ऐश से संबंधित प्रबंधन पर भी अलग खंड है। ऐसे मामलों में, एसडबल्यूएम नियम, 2016 के अनुसार जहां बॉटम ऐश और फ्लाई ऐश को गैर-खतरनाक पाया जाता है, वहाँ पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग और निपटान जैसा भी लागू हो की कार्य पद्धतियां प्रदान करा दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, पर्यावरणीय क्षति लागत मूल्यांकन (ईडीसीए) पर एक मसौदा रिपोर्ट तैयार की गई है और सार्वजनिक डोमेन में रखी गई है।

(ग) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत दिनांक 12.8.2025 को नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडबल्यू) दहन-आधारित अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयंत्रों (डब्ल्यू.टी.ई.) की स्व-निगरानी के लिए ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके क्षेत्राधिकार में सभी संचालित और आगामी नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडबल्यू) दहन-आधारित अपशिष्ट से ऊर्जा (डबल्यूटीई) संयंत्रों में रियल टाइम मानीटरन के लिए ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित और संचालित की जाए और इस निर्देश के तहत स्थापित सभी निगरानी प्रणालियाँ रियल टाइम में संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के सर्वर और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑनलाइन निगरानी सर्वर से जुड़ी हों। यह कार्य निर्देश जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

स्व-नियामक तंत्र के माध्यम से निगरानी और अनुपालन को सुदृढ़ करने के लिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने वर्ष 2015 से सभी 17 श्रेणियों की अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों को ऑनलाइन सतत अपशिष्ट/उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने का निर्देश दिए हैं। अपशिष्ट और उत्सर्जन के पर्यावरणीय प्रदूषकों के रियल टाइम के मान सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को ऑनलाइन प्रेषित किए जाते हैं। यदि किसी प्रदूषक पैरामीटर का मान निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों को पार कर जाता है, तो एसएमएस अलर्ट जेनरेट होता है और औद्योगिक इकाई तथा संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी को पहुंचाया जाता है, ताकि उद्योग द्वारा तुरंत सुधारात्मक उपाय किए जा सकें और लगातार उल्लंघन की स्थिति में संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके।

(घ) और (ङ) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ़सीसी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से परामर्श के साथ दिनांक 29 और 30 जनवरी, 2025 को क्रमशः जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सहमति प्रदान करने, निरस्त या रद्द करने के दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। ये दिशानिर्देश समान सहमति तंत्र स्थापित करते हैं, जो सहमति और प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित, एक-चरणीय प्रक्रिया प्रस्तुत करते हैं। इन दिशानिर्देशों में इकाइयों को लाल, नारंगी और हरा रंग की श्रेणी में वर्गीकृत करने के आधार पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर सहमति प्रदान करने या निरस्त करने की समयसीमा निर्धारित की गई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान के लिए तथा इससे जुड़े या संबंधित मामलों के लिए स्थापित किया गया था। सीएक्यूएम दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्देश और सलाह जारी करता है तथा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) लागू करता है। राष्ट्रीय

स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को जनवरी 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश के 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 130 शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और नगरीय स्तर के स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं के माध्यम से शुरू किया गया था। एनसीएपी में ग्रेटर मुंबई और पालघर जिले के वसई-विरार, शहरों को शामिल किया गया है। नगरीय स्तर की स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ वायु प्रदूषण के स्रोतों जैसे मिट्टी और सड़क की धूल, वाहन का उत्सर्जन, अपशिष्ट का जलाना, निर्माण और इमारतों को ध्वंस करने की गतिविधियाँ, तथा औद्योगिक प्रदूषण को लक्षित करती हैं। यह कार्यक्रम केंद्रीय और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के समन्वय से संसाधन जुटाने के संघटन का भी लाभ उठाता है, साथ ही राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासन, नगर निगमों और अन्य विकास प्राधिकरणों के संसाधनों का उपयोग करके कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करता है।

******